धारा (4) (1) ख (ii)

अपने आधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्रधान सचिव में सारी प्रशासनिक शक्तियाँ निहित है। सरकार के निदेशों एवं नितियों को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए उत्तरदायी है।

निदेशक, विभाग के प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनिकी प्रधान है। सभी प्रकार के तकनिकी विषयों में ये सरकार के जिम्मेवार सलाहकार भी है।

निदेशक के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समुचित सहयोग एवं अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिये निदेशालय एवं क्षेत्रिय स्तर पर अनेक पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ पदाधिकारी पदस्थापित है, जो निदेशक पशुपालन के अधीन इनके द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यों का सम्पादन एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

पशु स्वास्थ्य सेवा को वैज्ञानिक आवरण प्रदान करने टीकौषधियों के उत्पादन पशुओं के वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन, पशुओं के संतुलित आहार तथा उनमें होने वाले कुपोषण रोगों की रोकथाम का कार्य पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान से संबंधित है। इस संस्थान के प्रभारी निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना है। इनपर सौंपे गये उत्तरदायित्वों में सहयोग एवं अपेक्षित सहायता देने हेतु संस्थान में विभिन्न शाखाओं में विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक पदाधिकारी कार्यरत है।

सभी विकास योजनाओं को किसानों एवं पशुपालकों तथा क्षेत्रीय प्रसार कार्य हेतु सूचना एवं प्रसार कार्यालय पटना में कार्यरत है।

विभाग से संबंधित सभी कार्यक्रमों के प्रशासनिक कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, मगध, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं भागलपुर में क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन का पद सृजित है। सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन का मुख्यालय प्रमंडीलय मुख्यालय में ही होता है। इनके प्रशासन एवं प्रावैधिक उत्तरदायित्वों के निष्पादन में सहायता देने के लिये प्रत्येक जिलों में जिला पशुपालन पदाधिकारी के पद सृजित है। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पद सृर्जित है।

पशु चिकित्सा एवं पशु रोगों की रोक थाम के लिये 39 पशु अस्पताल, 1137 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 29 चलंत पशु चिकित्सालय कार्यरत है इसके प्रभारी पदाधिकारी क्रमशः पशु शल्य चिकित्सक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं चलंत पशु चिकित्सा पदाधिकारी होते है। पशुपालन एवं पशु विकास कार्यक्रमों के तहत पशुपालन का वैज्ञानिक आदान प्रदान कर एक उद्योग के रूप में विकसित करने लिए नश्ल सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए विदेशी नस्ल के जर्सी, फ्रीजियन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत शंकर नस्ल के साँढों का उपयोग कर राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु किया जा रहा है। नश्ल सुधार हेतु तरल रूप एवं फ्रोजेन शुक्र वृद्धि से कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए 23 पशु विकास कार्यालयों एवं 1434 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना की गयी है।

विभागीय कार्यों के संपादन एवं निष्पादन हेतु 13 प्रशाखायें कार्यरत है। जिसके प्रधान प्रशाखा पदाधिकारी होते है प्रशाखाओं को आवंटित कार्यो का संपादन एवं निष्पादन संबंधित प्रशाखा का जिम्मेवारी है।

सभी कार्यों से संबंधित प्रतिवेदनों का मुल्यांकन एवं प्रबोधन सांख्यिकी शाखा से संबंधित है एवं इसके लिये संबंधित सहायक निदेशक (सांख्यिकी) उत्तरदायी है।